

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेलjdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3(ख)(स्थाईकरण)/08/अलेसे-II/ 6713-20 जयपुर, दिनांक: 14/8/14

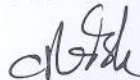
आदेश संख्या 62/2014-15

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी लेखाकार जिन्हें दो वर्ष के परिवीक्षाकाल के लिए स्थाई पारिश्रमिक पर नियुक्ति दी गई थी, को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवानियम 1963 के नियम 34 के अन्तर्गत दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं लेखाकार आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 08 में अंकित तिथि से स्थाई किया जाता है।

परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इन्हें पे बेण्ड 9300-34800 में मूल वेतन 14430/- (9300+4200 ग्रेड पे) एवं तदनुसार भत्ते देय होंगे।

क.सं.	लिक नं.	मेरिट संख्या	नाम लेखाकार सर्वश्री	जन्मतिथि	लेखाकार पद पर कार्यग्रहण तिथि	परिवीक्षा प्रशिक्षणकाल पूर्ण करने की तिथि	स्थाईकरण की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9110	16/2008	वशिष्ठ कुमार मीणा	05-02-1981	21.05.12	20.05.14	21.05.14
2	9114	20/2008	विनोद कुमार मीणा	14-07-1985	21.05.12	20.05.14	21.05.14
3	9122	28/2008	इमरत लाल मीणा	18-01-1977	21.05.12	20.05.14	21.05.14
4	9127	33/2008	शिव कुमार मीणा	20-11-1988	21.05.12	20.05.14	21.05.14
5	9160	51/2008	मनोज कुमार मीणा	06-05-1981	30.06.12	29.06.14	30.06.14
6	9148	55/2008	प्रेम राज मीणा	01-07-1982	21.05.12	20.05.14	21.05.14
7	9157	66/2008	सतीश कुमार मीणा	15-06-1985	21.05.12	20.05.14	21.05.14

लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियमित रूप से सेवारत रहे कार्मिकों जिनके द्वारा परिवीक्षा अवधि में पूर्व पद का वेतन प्राप्त किया जा रहा है, का परिवीक्षाकाल समाप्ति पर वेतन निर्धारण वित्त विभाग के नोटिफिकेशन एफ.1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 के बिन्दु 03(iv) के निर्देशानुसार राजस्थान सेवानियम के नियम 26 के अन्तर्गत किया जावेगा।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(ख)(स्थाईकरण)/08/अलेसे-II/ 6713-20 जयपुर, दिनांक: 14/8/14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- सयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
- कोषाधिकारी.....
- निजी सहायक, निदेशकमहोदया।
- उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण करने हेतु।
- श्रीलेखाकार, कार्यालय.....
- निजी पत्रावली/गार्डफाईल।

